

हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दशा-नरिदेश जारी

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये सरि से दशा-नरिदेश जारी किये हैं। यह नरिणय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनयिमतिता के कई मामले सामने आने के बाद लया गया है।

परमुख बढि

- मुख्य सचवि ने बताया कि नरिणय के अनुसार संरचनात्मक डजिइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी नरिणय लेंगे। यदा आवंटति कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है।
- यदा आवंटति कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, इस स्थिति में 10 परतशित तक वभिग के परशासनकि सचवि, 10 परतशित से 20 परतशित तक मुख्य सचवि की अध्यक्षता वाली समति, जसिमें वभिग के परशासनकि सचवि बतौर सदस्य शामिल हैं, नरिणय लेगी।
- इसके अलावा, 20 परतशित से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबनिट सब कमेटी, जसिमें वभिग के परभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, नरिणय लेगी।
- उन्होंने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दयि गए मूल्य समायोजन तथा वभिगीय आपूर्तियों के लयि आपूर्ति एवं नपिटान नदिशालय के आपूर्ति दरों में परविरतन के कारण परयोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
- उन्होंने इस संबंध में सभी परशासनकि सचवियों, अंबाला, हसिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, वभिगाध्यक्षों, बोर्डों, नगिमों, संगठनों के मुख्य परशासकों, प्रबंध नदिशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय नकियों और जला उपायुक्तों को पत्र जारी कर नरिदेश जारी कयि गए हैं। इस नरिदेश का जारी होने की तथि से तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चति कयि जाएगा।